

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :—06 / वि0नि0—18—07 / 2016

पटना, दिनांक—

श्री उदय कुमार, राज्य-कर उपायुक्त (तृतीय सीमित बैच), सारण अंचल-2, छपरा को वित्त विभाग के पत्रांक-8043 दिनांक-11.10.2017 की कंडिका 3 (G) (i) छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) की सुविधा प्रदान किये जाने के प्रावधान के आलोक में दिनांक-13.04.2025 से 20.04.2025 तक श्रीनगर (जम्मू कश्मीर) की सपरिवार छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0 /—

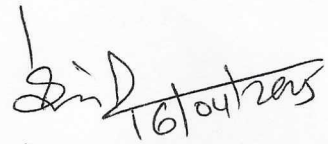
(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—06 / वि0नि0—18—07 / 2016 17/5

पटना, दिनांक—17/4/25

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, छपरा (सारण) / राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0 (स्था0), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री उदय कुमार, राज्य-कर उपायुक्त (तृतीय सीमित बैच), सारण अंचल-2, छपरा को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित कि याचित अवकाश अवधि की स्वीकृति एच0आर0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से करायेंगे।



सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।